संख्या -97/सीपी 450/84-2-2013-7(वि0)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर 2013

विषय मा0 सांसदों एवं विधानमण्डल के सदस्यों द्वारा जनपद एवं शासन स्तर पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3170/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 56/07, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा भेजी गयी सूचना अपूर्ण है।

2. अत: कृपया शासन के पत्र संख्या-75/450/84-2-2013-7(वि0)/2013, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के साथ संलग्न कर भेजे गये निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराते हुए मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों की छायाप्रतियां भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि उक्त सूचना को विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के समक्ष रखा जाना है, अत: आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in